मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
www.esic.nic.in

संख्या : ए–49/16/1/2013–रा.भा. दिनांक : 14 जून, 2013

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय।
4. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर।
5. सभी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल।

विषय : राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में आंशिक संशोधन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के राजभाषा कार्मिकों के दिनांक 01 व 02 जून, 2012 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन में लिए गए निर्णय, प्रतियोगिताओं के संचालन में आ रही कठिनाइयों एवं राजभाषा अधिकारियों से प्राप्त सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए महानिदेशक महोदय ने क.रा.बी. निगम एककों में राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में निम्नानुसार आंशिक संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है :–

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	भाषा वर्ग	पुरस्कार राशि (रुपये में)
01	हिंदी वाक्	हिंदी तथा हिंदीतर	प्रथम पुरस्कार ₹ 1,500/– द्वितीय पुरस्कार ₹ 1,200/– तृतीय पुरस्कार ₹ 1,000/– (अलग–अलग वर्ग)
02	हिंदी निबंध	हिंदी तथा हिंदीतर	प्रथम पुरस्कार ₹ 1,500/– द्वितीय पुरस्कार ₹ 1,200/– तृतीय पुरस्कार ₹ 1,000/– (अलग–अलग वर्ग)
03	हिंदी टिप्पण व आलेखन	हिंदी तथा हिंदीतर	प्रथम पुरस्कार ₹ 1,500/– द्वितीय पुरस्कार ₹ 1,200/– तृतीय पुरस्कार ₹ 1,000/– (अलग–अलग वर्ग)
04	राजभाषा ज्ञान (लिखित रूप से संक्षिप्त प्रश्नोत्तर)	हिंदी तथा हिंदीतर	प्रथम पुरस्कार ₹ 1,500/– द्वितीय पुरस्कार ₹ 1,200/– तृतीय पुरस्कार ₹ 1,000/– (अलग–अलग वर्ग)

सभी प्रतियोगिताओं में किसी भी भाषा वर्ग में भाग लेने के लिए न्यूनतम निर्धारित प्रतिभागी संख्या (कोरम) की बाध्यता नहीं होगी। प्रत्येक प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्ति हेतु न्यूनतम 33% उत्तीर्णांक आवश्यक होंगे। भाषा वर्ग मातृभाषा के आधार पर निर्धारित होंगे। उल्लेखनीय है कि हिंदी भाषी वर्ग में 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के भाषा भाषी तथा हिंदीतर भाषी वर्ग में 'ग' क्षेत्र के भाषा भाषी सम्मिलित होंगे।

उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई राशि के संबंध में अपर आयुक्त(वित्त) ने समसंख्यक फाइल के पृष्ठ संख्या 4 पर सहमति प्रदान कर दी है।

उपर्युक्त संशोधन पूर्व के आदेशों के अधिक्रमण में जारी किए जाते हैं।

भवदीय,

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

प्रतिलिपि :

1. सभी सहायक निदेशक(रा.भा.), क.रा.बी. निगम—सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इसे क.रा.बी. निगम मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. क्षेत्र एककों के संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त)/सहायक निदेशक(वित्त)

संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन............
Website Contents Management.............
डायरी सं./Diary No......331.........
दिनांक/Date.......17/06/13.....